

अनुदान संख्या 58 - महिला और बाल विकास विभाग
GRANT No. 58-DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	2653,91,00	2104,40,06	-549,50,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			547,82,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	24358.00	16988.20	16877.91	-110.29
पु.	R.	-7369.80			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	26000.00
पु.	R.	-26000.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	212074.00	190828.21	190828.19	-0.02
पु.	R.	-21245.79			

(I) 27535.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 27300.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 26000.00 लाख रु. संशोधित अनुमान चरण पर समग्र रूप से कटौती किए जाने की वजह से 11756.94 लाख रु. की राशि अभ्यर्पित किए जाने और शेष प्रावधान को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग के लिए विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के लिए पुनर्विनियोजित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - महिला कल्याण - बालिका समृद्धि योजना"- 1300.00 लाख रु. उपयोग प्रमाणपत्रप्राप्त न होने तथा राज्य सरकारों को स्कीमों के अंतरण के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "बाल कल्याण"-

(क) "क्रेच/दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र"- 1327.35 लाख रु. की बचत (3250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानदंडों में संशोधन के लिए रखी गई निधियों के उपयोग में असमर्थ रहने के कारण हुई क्योंकि इस स्कीम के संशोधन को मूर्तरूप नहीं दिया गया था। साथ ही, निरीक्षण के बाद कुछ क्रेचों को बंद किए जाने की वजह से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण भी हुई।

(ख) "विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम"- 802.84 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध होने और योजना के अनुसार विदेशी प्रशिक्षण आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.27535.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.27300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure- Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern region and Sikkim" - Rs.26000.00 lakhs - due to surrender of Rs.11756.94 lakhs on account of overall cut at revised estimates stage and re-appropriation of balance provision to various schemes/projects for utilisation in North Eastern Region including Sikkim.

(B) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare-Women's Welfare-Balika Samridhi Yojana"- Rs.1300.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificate and transfer of the scheme to the State Governments.

(II) Under Major Head "2235"- "Social Welfare"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare"-

(a) "Creches/Day Care Centres"- saving of Rs.1327.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3250.00 lakhs) was due to inability to utilise funds kept for revision of norms of scheme as scheme revision did not materialise. Also, Central Social Welfare Board, Indian Council for Children Welfare and Bhartiya Adim Jati Sevak Sangh had unspent balance owing to closure of certain creches after monitoring.

(b) "World Bank Assisted ICDS Training Programme"- saving of Rs.802.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with National Institute of Public Co-operation and Child Development and non-organising of foreign training as planned.

(खा) "महिला कल्याण"-

(क) "कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता"- 384.26 लाख रु. की बचत (898.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण दूसरी तथा बाद की किस्तें जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "स्वावलम्बन"- 314.58 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नार्वे के विकास सहयोग अभिकरण (एनओआरएडी) के इस परियोजना के निधीयन के प्रस्ताव को वापस लेने के कारण हुई। अतः बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक अप्रयुक्त रहे।

(ग) "प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता"- 871.53 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ संगठनों से उपयोग प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक ब्योरे प्राप्त न होने की वजह से दूसरी तथा बाद की किस्तें जारी न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "स्व-शक्ति परियोजना"- 2280.50 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "स्वयंसिद्ध"- 105.41 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुईं।

(च) "स्वाधार"- 1238.43 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पूरे प्रस्ताव तथा परियोजना संबंधी ब्योरे प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) "अन्य व्यय - सूचना तथा जन शिक्षा कक्ष"- 152.53 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुई कि जनसंचार (मीडिया) संबंधी कार्यकलापों जैसे विज्ञापन जारी करने,

(B) "Women's Welfare"-

(a) "Assistance to Voluntary Organisations for Hostels for Working Women"- saving of Rs.384.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.898.00 lakhs) was due to non-release of 2nd and subsequent instalments on account of non-receipt of utilisation certificate from some of the project implementing agencies.

(b) "Swawlamban"- saving of Rs.314.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to the reason that the Norwegian Agency for Development Co-operation (NORAD) withdrew its offer to fund the project. Therefore, the externally aided component remained unutilised.

(c) "Support to Training and Employment Programme"-saving of Rs.871.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to non-release of 2nd and subsequent instalments on account of non-receipt of utilisation certificate and other necessary details from some of the organisations.

(d) "Swa-Shakti Project"- saving of Rs.2280.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs); and

(e) "Swayamsiddha"- saving of Rs.105.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-release of funds on account of non-receipt of utilisation certificate from some of the project implementing agencies.

(f) "Swadhar"- saving of Rs.1238.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals and project details from the implementing agencies.

(C) "Other Expenditure-Information and Mass Education Cell"-saving of Rs.152.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to the fact that the expenditure on media activities like release of advertisement, setting up

इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन (डिसप्ले) बोर्ड की स्थापना इत्यादि पर व्यय नहीं किया जा सका था।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान"- 1630.70 लाख रु. की बचत (6570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने की सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(क) "समाज कल्याण - महिला कल्याण - स्वयंसिद्ध"- 902.19 लाख रु. की बचत (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "समाज कल्याण - बाल कल्याण"-

(i) "विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस कार्यक्रम-सामान्य संघटक"- 5641.67 लाख रु. की बचत (17970.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस कार्यक्रम-बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक"- 13163.89 लाख रु. की बचत (41930.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने की सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) पांच शीर्षों के अंतर्गत 384.53 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत से 81 प्रतिशत थीं।

of electronic display board etc. could not be undertaken.

(III) Under Major Head "3601"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes -Social Welfare-Child Welfare- Grants under Training Programme of ICDS"- saving of Rs.1630.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6570.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and information to lodge reimbursement claims with the World Bank.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Social Welfare-Women's Welfare-Swayamsiddha"- saving of Rs.902.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-receipt of utilisation certificates from some of the State Governments.

(b) "Social Welfare-Child Welfare"-

(i) "World Bank Assisted ICDS Programmes-General Component"- saving of Rs.5641.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17970.00 lakhs); and

(ii) "World Bank Assisted ICDS Programmes-Externally Aided Component"- saving of Rs.13163.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41930.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates and information to lodge reimbursement claims with the World Bank.

(IV) Under five heads savings of Rs.384.53 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 48 percent to 81 percent of the sanctioned provision.

2(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (376.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - महिला कल्याण - केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड" के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 1394.64 लाख रु. का अधिक व्यय (142652.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आईसीडीएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly (Rs.376.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure II to the Supplementary Demands for Grants under Major Head "2235" - "Social Welfare -Women's Welfare- Central Social Welfare Board".

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare -Child Welfare -Integrated Child Development Services"- excess of Rs.1394.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.142652.00 lakhs) was due to requirement of more funds for implementing the ICDS scheme in North Eastern States including Sikkim.